—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव, (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 108/2023

उनवान

मंगलचन्द पुत्र गोपी जाति बैरवा निवासी ग्राम कुराडी, नसीराबाद
—— वादी :— जरियें अधिवकता श्री राजेश गोमा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद
—— प्रतिवादी :— जरियें राज. पैरोकार
2. सिद्धु पुत्र गोपी
3. हनुमान पुत्र गोपी
4. संतरा पुत्री गोपी
5. कानाराम पुत्र शंकर
6. पूजा पुत्री शंकर समस्त जाति बैरवा निवासी ग्राम कुराडी, नसीराबाद
—— प्रफोर्मा प्रतिवादीगण :— 2 से 6 जरियें अधिवक्ता श्री नरेश टांक

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :— दिनांक :— 20.2.25

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम कुराडी के वंर्किग खसरा नमबर 63 मिन रकबा 0.25, 64 रकबा 1.22 व 65 मिन रकबा 0.09 के हाल खसरा नम्बर 64 रकबा 1.56 की आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के दादा नाथू पुत्र गंगाराम के नाम दिनांक 22.11.1975 को आवंटित की गयी। आवंटन दिनांक से आराजी मुतनाजा पर नाथू पुत्र गंगाराम का व उनकी मृत्यु के बाद वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। हाल राजस्व अभिलेख में बंदोबस्त विभाग द्वारा आराजी मुंतनाजा को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 64 सिवायचक दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 64 रकबा 1.22 के सामने आवंटन नाथू पुत्र गंगाराम के नाम दिनांक 22.11.75 का नोट लगा हुआ है। भूमि सिवायचक होने के कारण वाद खारिज किया जावे। प्रफोर्मा प्रतिवादीगण ने प्रकरण में जवाब नही पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :—

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रु[illegible] से वादी खातेदारी प्राप्ति का अधिकारी है ?
—— वादी
2. अनुतोष ?

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:36:57 IST
Reason: SelfAttested

——2

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये तथा वादी मंगलचन्द का शपथ पत्र पेश किया।

राज. पैराकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया।

तनकी संख्या 1:–

वादी द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया है कि ग्राम कुराडी के वंर्किग खसरा नमबर 63 मिन रकबा 0.25, 64 रकबा 1.22 व 65 मिन रकबा 0.09 के हाल खसरा नम्बर 64 रकबा 1.56 की आरजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादी के दादा नाथू पुत्र गंगाराम के नाम दिनांक 22.11.1975 को आवंटित की गयी। आवंटन दिनांक से आराजी मुतनाजा पर नाथू पुत्र गंगाराम का व उनकी मृत्यु के बाद वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण का कब्जा चला आ रहा है। हाल राजस्व अभिलेख में बंदोबस्त विभाग द्वारा आराजी मुतनाजा को त्रुटिपूर्ण तरीके से सिवायचक दर्ज कर दिया है। अतः आराजी मुतनाजा का खातेदार वादी को घोषित किया जावे। वादी द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार वादी के पूर्वज नाथू पुत्र गंगाराम को वंर्किग खसरा नम्बर 64 रकबा 7–10–0 भूमि आवंटित की गयी। उक्त आवंटन पत्र के साथ कार्यवाही विवरण व आवंटन पट्टा सलंग्न नही है। राज. पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि हाल खसरा नम्बर 64 सिवायचक दर्ज है। वंर्किग खसरा नम्बर 64 रकबा 1.22 के सामने आवंटन नाथू पुत्र गंगाराम के नाम दिनांक 22.11.75 का नोट लगा हुआ है। वंर्किग जमाबंदी में उक्त इन्द्राज बिना किसी नामान्तकरण के अंकित होने के कारण हाल राजस्व अभिलेख में भूमि विधिवत सिवायचक दर्ज की गयी है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि अधिकार अभिलेख में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नामानतकरण द्वारा ही किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में आवंटन की पालना राजस्व अभिलेख में नही की गयी है। वादी द्वारा 1975 के आवंटन के आधार पर वर्ष 2013 में वाद पत्र पेश करने का कोई युक्तियुक्त कारण वाद में नही दर्शाया है। वादी द्वारा प्रस्तुत खसरा गिरदावरी सम्वत् 2063 से 2074 में आवंटित भूमि पडत दर्ज है। अर्थात उक्त अवधि में वादी अथवा प्रतिवादी संख्या 2 से 6 का उक्त आराजी पर कब्जा काश्त नही रहा है। आवंटित भूमि पर अवंटि अथवा उसके वारिसों का कब्जा काश्त होना अनिवार्य है। आवंटी का कब्जा काश्त नही होने के कारण तथा पूर्व में विधिवत पालना नही होने के कारण आराजी मुतनाजा का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण नही कहा जा सकता है। तनकी विरूद्व वादी निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम कुराडी के हाल खसरा नम्बर 64 रकबा 1.56 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:36:57 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

मंगलचन्द बनाम राज. सरकार

दावा बाबत :– 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 108 / 2023
पेश करने की दिनांक – 27.06.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक राजेश गोमा मुद्दई नरेश टांक व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम कुराडी के हाल खसरा नम्बर 64 रकबा 1.56 की आराजी पर वादी का वाद **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक——— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 20 माह 2 सन् **2025** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:36:57 IST
Reason: SelfAttested